रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2003/आश्विन 17, 1925
No. 495] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2003/ASVINA 17, 1925

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2003

सा. का. नि. 801(अ).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 73) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियम, 1997 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) नियम, 2003 कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नियम, 1997 में नियम 9 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: —

"9. शुल्क.—निर्धारित दिन को अथवा उसके बाद अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रदान करने वाली या प्रदान करने का इरादा रखने वाली किसी संस्था द्वारा इस अधिनियम के तहत मान्यता प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय समिति को धारा 14 की उपधारा (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन और अध्यापक शिक्षा में किसी अन्य पाठ्यक्रम को शुरू करने अथवा प्रशिक्षण हेतु अनुमति प्राप्त करने अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा किसी मौजूदा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश क्षमता बढाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय समिति को धारा-15 की उपधारा (1) के तहत किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ 40,000 रुपये का शुल्क भेजना होगा :

बशर्ते सरकारी संस्थाओं को इस नियम के तहत शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा।"

[फा. सं. 61-26/02-डेस्क (टीई)/ईई-10]

वृन्दा सरूप, संयुक्त सचिव

नोट.—सा.का.नि. 689(अ) दिनांक 9 दिसम्बर, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में प्रधान नियम प्रकाशित किए गए थे।

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-54

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Elementary Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2003

G.S.R. 801(E).—In exercise of powers conferred by Section 31 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Council for Teacher Education Rules, 1997 namely :—

1. (i) These Rules may be called the National Council for Teacher Education (Amendment) Rules, 2003.

 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education Rules, 1997, for rule 9, the following shall be substituted, namely :—

 "9. Fees.—Every application made under Sub-section (1) of Section 14 to the concerned Regional Committee for obtaining grant of recognition under the Act by any institution offering or intending to offer a course or training in teacher education on or after the appointed day and every application made under Sub-section (1) of Section 15 to the concerned Regional Committee for grant of permission for starting any new course or training in teacher education or for increasing intake in respect of an existing course by a recognized institution shall be accompanied by a fee of Rs. 40,000 :

 Provided that Government institutions shall be exempt from payment of the fee under this rule."

[F. No. 61-26/02-Desk (TE)/EE-10]

VRINDA SARUP, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 689(E) dated the 9th December, 1997.

सहायक नियंत्रक (प्रशासन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

632